

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी- दुर्गाशंकर मीना, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 198/09

- 1 देवलाल आत्मज श्री लटूरलाल (मृतक) जयें कायम मुकामान :-
1/1 सत्यनारायण पुत्र स्व. देवलाल
1/2 सोभाग पुत्र स्व. देवलाल
1/3 ओमप्रकाश पुत्र स्व. देवलाल
1/4 जशोदाबाई पुत्री स्व. देवलाल
1/5 हेमा बाई पुत्री स्व. देवलाल
1/6 रामकन्या बाई पुत्री स्व. देवलाल
1/7 सीता बाई पत्नी स्व. देवलाल
जाति माली, निवासीगण रानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक : 29.12.2017

निर्णय

वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में पेश कर निवेदन किया गया कि वादीगण ग्राम रानपुर के कदीमी निवासी हैं तथा काश्तकारी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं। वादीगण भूमिहीन शान्तिप्रिय काश्तकार हैं तथा वादीगण के कब्जे में ग्राम रानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की खसरा नम्बर 797/1602 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 796/1607 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 815/1698 रकबा 0.39 हैक्टर आराजी पर गत 35-40 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है तथा प्रतिवर्ष जुर्माना भी अदा करते आ रहे हैं। वादीगण ने अथक मेहनत कर एवं बहुत रुपये लगाकर भूमि को काबिल काश्त बनाया है। भूमि को समतल करवाकर काश्त योग्य बनाया है जिसमें वादीगण का काफी रुपये खर्च हो गये हैं। वादीगण द्वारा उक्त आराजी को गत 35-40 वर्षों से निरन्तर अबाध रूप से बहैसियत मालिक कब्जा उक्त आराजी पर चला आ रहा है तथा 35-40 वर्षों से कब्जा होने से वादीगण कानूनन उक्त भूमि के खातेदार हो गये हैं तथा राज्य सरकार के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में वादीगण ने स्वयं का नाम दर्ज करवाने के प्रथम अधिकारी हैं। जमीनों के भाव में आये अचानक बढ़ोतरी के कारण दलालों की बुरी नजर उक्त आराजी पर है जो वादीगण को धमकी देकर राजनैतिक प्रभाव से स्वयं के नाम आवंटन या नियमन करवाने के प्रयास में है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

वादीगण ने पूर्व में कई बार तहसील कार्यालय तथा शिविरों में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि को वादीगण को नियमन करवाने की प्रार्थना की किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इस कारण वादीगण को नियमन करवाने की प्रार्थना की किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस कारण वादीगण ने अपने अधिवक्ता के जर्ने धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिनांक 21.05.2008 को दिलवाया जिसमें ग्राम रानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की खसरा नम्बर 797/1602 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 796/1607 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 815/1698 रकबा 0.39 हैक्टर भूमि को पुराने कब्जे के आधार पर वादीगण को नियमन, आवंटन करने की प्रार्थना की गई, उक्त नोटिस राज्य सरकार के प्रतिनिधि जिला कलक्टर को प्राप्त होने पर तथा उसमें वर्णित समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। वाद कारण वादीगण द्वारा तहसील कार्यालय तथा शिविरों में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करने अथवा दिनांक 21.05.2008 को रजिस्टर्ड एडी नोटिस धारा 80 सीपीसी का देने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं करने पर उत्पन्न हुआ। इस कारण वादीगण पुराने कब्जे के आधार पर कानूनन उक्त भूमि के स्वामी व खातेदार हो गये हैं तथा सरकार का नाम रिकार्ड से हटवाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हो गये हैं।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण को ग्राम रानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की खसरा नम्बर 797/1602 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 796/1607 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 815/1698 रकबा 0.39 हैक्टर आराजी का पुराने कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा सरकार की जगह वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं करें। वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी संवत् 2063-2066 तथा प्रपत्र पी-14 की फोटोप्रति पेश की गई है।

प्रतिवादी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.06.2007 से ग्राम रानपुर नगर निगम क्षेत्र में आता है। नगर निगम क्षेत्र में आवंटन प्रतिबन्धित है। खसरा नम्बर 797/1602, 796/1607, 815/1698 वर्तमान में सिवायचक दर्ज रेकार्ड है। अतः वादी का वाद खारिज योग्य है।

दौराने वाद प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई -


1. आया वादीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 797/1602 रकबा 0.80 हैक्टर, 796/1607 रकबा 0.68 हैक्टर, 815/1698 रकबा 0.39 हैक्टर वाके ग्राम रानपुर पर गत 35-40 वर्षों से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। (वादीगण)
2. आया वादीगण उक्त विवादित आराजी को पुराने 35-40 वर्षों के कब्जे के आधार पर इस न्यायालय से विधिवत खातेदारी घोषित करवाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराने के अधिकारी हैं। (वादीगण)
3. आया वादग्रस्त आराजी वर्तमान में सिवायचक दर्ज रेकार्ड है तथा भूमि नगर निगम सीमा क्षेत्र में होने से आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है। (प्रतिवादी)
4. अनुतोष ।

पत्रावली के बहस में आने पर उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये प्रकरण की विवादित आराजी पर अपने लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने का निवेदन किया गया, वहीं प्रतिवादी की ओर से उनके जवाब दावा के कथनों को ही बहस माने जाने का निवेदन किया गया। हमने बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया, जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वादीगण द्वारा विवादित आराजी पर अपने 35-40 वर्षों के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहते हैं। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस बाबत प्रकरण में कायम की गई तनकी नं. 1 व 2 वादी के विरुद्ध तथा तनकी नं. 3 प्रतिवादी के पक्ष में तय होती है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों के निम्नांकित गत निर्णयों का भी दृष्टान्त लिया जाना समीचीन होगा -

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता है। (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वादीगण को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अतः कृषि आराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दुर्गा शंकर मीना)

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी- श्री दुर्गा शंकर मीना, R.A.S.

बउनवान :-

- 1 देवलाल आत्मज श्री लदूरलाल (मृतक) जयें कायम मुकामान :-
1/1 सत्यनारायण पुत्र स्व. देवलाल
1/2 सोभाग पुत्र स्व. देवलाल
1/3 ओमप्रकाश पुत्र स्व. देवलाल
1/4 जशोदाबाई पुत्री स्व. देवलाल
1/5 हेमा बाई पुत्री स्व. देवलाल
1/6 रामकन्या बाई पुत्री स्व. देवलाल
1/7 सीता बाई पत्नी स्व. देवलाल
जाति माली, निवासीगण रानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (वादीगण)
बनाम
1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 198/09
निर्णय दिनांक : 29-12-2017

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से वादी अभिभाषक श्री घनश्याम नागर तथा प्रतिवादी की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोविन्द सिंह चौहान में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 29-12-2017 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा शंकर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर कृषि आराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। यह डिक्री आज तारीख 29.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दुर्गा शंकर मीना)

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2.	अर्जी के लिये स्टाम्प
3.	अदर्शों के लिये स्टाम्प	3.	प्लीडर के लिये फीस
4. रूपये पर प्लीडर की फीस	4.	साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय	5.	आदेशिका की तामिल
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल	6.	कमिश्नर की फीस
जोड		जोड	